

## घरेलू हिंसा के मानव समाज पर पडने वाले प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

<sup>1</sup>विजय कुमार

<sup>1</sup>असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद उ०प्र०

### Abstract

घरेलू हिंसा मानव समाज के कई क्षेत्रों पर एक बड़ा बोझ है और हर तरह से, एक राष्ट्र के विकास को बखूबी प्रभावित करती है। कानून से परेसान व खराब स्वास्थ्य, वेरोजगार व्यक्ति महिलाओं से मारपीट करने वाले राष्ट्रों के विकास को नुकसान ही पहुंचाते हैं। यह बुरी आदतें न केवल वर्तमान मानवीय पीढ़ी को ही प्रभावित करती हैं बल्कि यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हमले के रूप में शुरू होती है, वह परिवार और समुदाय के माध्यम से भविष्य में फैलती है। जो किसी भी देश के समाज के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकते हैं। आज घरेलू हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है जो राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और वर्ग भेद तक पहुँच चुकी है। यह समस्या न केवल भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से फैली हुई है, बल्कि इसकी सत्यता भी अत्यन्त ही व्यापक है, जो इसे एक विशिष्ट और स्वीकृत मानवीय व्यवहार बनाती है। घरेलू हिंसा आज हमारे देश के समाज में व्यापक रूप से फैली हुई है, और बहुत ही गहराई तक व्याप्त है और इसका महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर प्रभाव भी पड रहा है। इसका निरंतर अस्तित्व नैतिक रूप से असुरक्षित ही दिखता है। व्यक्तियों, स्वास्थ्य प्रणालियों और समाज के लिए इसकी आदतें बहुत अधिक गम्भीर होती हैं। इसे कैसे सुधारा जाए इसी का मैंने संक्षिप्त उल्लेख अपने इस शोध पत्र में किया है।

**मुख्य शब्द**— घरेलू हिंसा, महिला पर शारीरिक हमला, महिला का मनोवैज्ञानिक शोषण, महिला का सामाजिक शोषण, महिला का वित्तीय शोषण व महिला का यौन उत्पीड़न।

### Introduction

महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा को एक रिश्ते में एक वयस्क द्वारा कमजोर को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति के दुरुपयोग के रूप में वर्णित की जा सकती है। यह हिंसा और दुर्व्यवहारों के अन्य रूपों के माध्यम से एक रिश्ते में नियंत्रण और भय की स्थापना है। यह हिंसा शारीरिक हमला, मनोवैज्ञानिक शोषण, सामाजिक शोषण, वित्तीय शोषण या यौन उत्पीड़न का रूप ले सकती है। हिंसा की आवृत्ति रुक-रुक कर, कभी-कभार या दीर्घकालिक समस्या हो सकती है। घरेलू हिंसा महज एक तर्क नहीं है। यह बलपूर्वक नियंत्रण का एक पैटर्न है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपने अनुसार लागू करता है। दुर्व्यवहार करने वाले अपने पीड़ितों पर हावी होने और अपनी बात मनवाने के लिए शारीरिक और यौन हिंसा, धमकियाँ, भावनात्मक अपमान और आर्थिक अभावो का उपयोग करते हैं। घरेलू हिंसा से जुड़ा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 कहता है कि कोई भी कार्य, आचरण, चूक या शरीर को नुकसान पहुंचाता है या घायल करता है या नुकसान पहुंचाने या घायल करने की क्षमता रखता है, उसे कानून द्वारा घरेलू हिंसा माना गया है। यहाँ तक कि एक भी चूक से घरेलू हिंसा हो सकती है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं को कानून का सहारा लेने से पहले लंबे समय तक दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा की जाती है। हालाँकि, आमतौर पर इसकी शिकार अधिकांस महिलाएँ ही

होती हैं, खासकर हमारे देश के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, यह बताया गया है कि महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए सभी हिंसक अपराधों में से 85% मामले अंतरंग साथी हिंसा के ही होते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा अनुभव किए गए 3% हिंसक अपराध होते हैं।<sup>4</sup> घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे आम रूप है। यह कन्या भ्रूण के लिंग चयनात्मक गर्भपात से लेकर जबरन आत्महत्या और दुर्व्यवहारों तक महिलाओं को जीवन भर प्रभावित करती रहती है, और कुछ हद तक, दुनिया के हर समाज में यह स्पष्ट दिखाई भी दे रही है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत पर रिपोर्ट है कि जिन महिलाओं को कभी किसी अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा या दोनों का अनुभव हुआ है, उनका अनुपात 15% से 71% के बीच है, 2015–16 के दौरान 29 राज्यों में किए गए भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि विवाहित महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अपने जीवन में कभी न कभी अपने पतियों द्वारा शारीरिक या यौन शोषण का शिकार हुई है। इस सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिला है कि, देश भर में, 37.2% महिलाओं को शादी के बाद हिंसा का अनुभव हुआ। राजस्थान सबसे अधिक हिंसक पाया गया, जहां विवाहित महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहारों की दर 59% थी। अजीब बात यह है कि इनमें से 63% घटनाएं राज्य के सबसे पिछड़े गांवों के बजाय शहरी परिवारों में दर्ज की गईं। इसके बाद मध्य प्रदेश (45.8%), बिहार (46.3%), मणिपुर (43.9%), उत्तर प्रदेश (42.4%), तमिलनाडु (41.9%) और पश्चिम बंगाल (40.3%) का स्थान रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रवृत्ति को हाल ही में भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने भी उजागर किया है जिसमें कहा गया है कि जहां 2000 में, औसतन 125 महिलाओं को हर दिन घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता था, वहीं 2015 में यह आंकड़ा 187 था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोश की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि भारत में लगभग दो-तिहाई विवाहित महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार रहती हैं। भारत में हिंसा के कारण 15 से 44 वर्ष की आयु के बीच कैंसर जैसी बीमारियों से कई महिलाएं मरती हैं या विकलांग हो जाती हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव यातायात दुर्घटनाओं और मलेरिया से होने वाली मौतों से भी अधिक है। यहां तक कि यह चिंताजनक आंकड़े भी काफी हैं।

**शोध विधि:** मैंने अपने इस शोध पत्र में सामाजिक शोध विविधियों का प्रयोग कर इस शोध पत्र को तैयार किया है। और प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन कर मैंने इस शोध पत्र को तैयार किया है।

**मुख्य उद्देश्य :** मेरे इस शोध पत्र के निम्न उद्देश्य रहे हैं ।

- 1 आज समाज में घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या है।
- 2 आज घरेलू हिंसा और इसके मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव ।
- 3 आज घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव।
- 4 आज महिलाओं के साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा का प्रभाव ।
- 5 आज बच्चों पर घरेलू हिंसा के पड़ने वाले मुख्य प्रभाव।

6 आज धरेलू हिंसा में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्मिक की भूमिका का महत्व ।

**1: आज समाज में घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या है** महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक पुरानी घटना है। महिलाओं को हमेशा कमजोर, असुरक्षित और शोषण की स्थिति में ही माना जाता था। घरेलू हिंसा को लंबे समय से महिलाओं के साथ होने वाली घटना के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। सांस्कृतिक रीति-रिवाज, धार्मिक कुप्रथाएं, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ घरेलू हिंसा को शुरू करने और बनाए रखने के लिए प्राथमिकता तय कर सकती हैं, लेकिन हिंसा करना एक विकल्प ही रहती है हालाँकि भारत सहित किसी भी देश में लिंग आधारित हिंसा के एटियलजि में मैक्रो सिस्टम-स्तरीय ताकतों जैसे कि सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है, व्यक्तिगत-स्तर के चर जैसे कि बड़े होने के दौरान किसी के माता-पिता के बीच हिंसा को देखना, अपनी संतान को अस्वीकार करने वाले पिता, अपराधी सहकर्मी (संघ) भी ऐसी हिंसा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरेलू हिंसा में लिंग असंतुलन आंशिक रूप से शारीरिक शक्ति और आकार में कुछ अंतर से संबंधित होता है। इसके अलावा, दुनिया भर के विभिन्न समाजों में महिलाओं को उनकी लैंगिक भूमिकाओं के अनुसार समाजीकृत किया जाता है। पितृसत्तात्मक सत्ता संरचना और कठोर लैंगिक भूमिकाओं वाले समाजों में, अगर महिलाओं के साथी हिंसक हो जाते हैं तो महिलाएं अक्सर अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होती हैं। हालाँकि, अधिकांश असमानता इस बात से संबंधित भी रहती है कि कैसे पुरुष-निर्भरता और भय एक सांस्कृतिक निरस्त्रीकरण है। जो पति पत्नियों को पीटते हैं, उन्हें आमतौर पर लगता ही है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा करके वे परिवार में अच्छी व्यवस्था बनाए रख रहे हैं और अपनी पत्नियों के अधिकार को दंडित कर रहे हैं। विशेषकर पत्नियों को अपना उचित स्थान बनाए रखने में विफलता मिलती हुई आज भी दिखाई दे रही है।

**2: आज घरेलू हिंसा और इसके मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव** हिंसा न केवल महिलाओं को शारीरिक चोट ही नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह पीड़ित, अपराधी और समग्र रूप से समाज के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण को भी कमजोर करती है। महिलाओं के खराब स्वास्थ्य में घरेलू हिंसा का बड़ा योगदान दिखता है। इसका महिलाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सहित मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। हिंसा में आई चोटें, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, अस्थायी या स्थायी विकलांगता, अवसाद और आत्महत्या आदि शामिल हो सकते हैं। "मौखिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारों के कई रूप पहले तो अपेक्षाकृत हानि रहित दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ यह बढ़ते ही हैं और भी अधिक खतरनाक हो जाते हैं, कभी-कभी धीरे-धीरे और सूक्ष्म रूप से। जैसे-जैसे पीड़ित अपमानजनक व्यवहारों को अपनाते हैं, मौखिक या मनोवैज्ञानिक रणनीति पीड़ितों के दिमाग में एक मजबूत पकड़ बन जाती है। इन मानसिक स्वास्थ्य परिणामों का मानव, परिवार, समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लिए बुरा प्रभाव ही पड़ता है। अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में, महिलाओं की शारीरिक चोटें और मानसिक परेशानी या तो उनके शैक्षिक और कैरियर के रास्ते में बाधा डालती है, जिससे गरीबी और आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। जिससे मानवीय पारिवारिक जीवन बाधित हो जाता है जिसका

बच्चों पर महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसमें गरीबी (यदि तलाक या अलगाव भी होता है) और परिवार की संस्था में विश्वास और विश्वास की हानि शामिल होने लगती है। यह परिणाम न केवल व्यक्तियों और समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। एक शोध के अनुसार भारत में, हिंसा की एक घटना के परिणामस्वरूप महिलाओं को सात कार्य दिवस गंवाने पड़ते हैं इससे बहुत अधिक आर्थिक छति हमारे देश को होती है। वैसी ही छति संयुक्त राज्य अमेरिका में, कुल घाटा सालाना 12.6 अरब डॉलर हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया को प्रति वर्ष 6.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है। जिससे घरेलू हिंसा के शारीरिक स्वास्थ्य परिणाम अक्सर अस्पष्ट, अप्रत्यक्ष होते हैं और दीर्घावधि में सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं पर बचपन में हिंसक हमले हुए थे, वे बाद के जीवन में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं और चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम से परेशान रहती देखी गई है।

**3: आज घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव** आज इस बात का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में उच्च प्रजनन रुग्णता देखी जाती है। उत्तर भारत में किए गए अध्ययनों में उन महिलाओं की तुलना भी की गई है, जिन पत्नियों ने घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं की है और जिन महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव भी किया है, उनमें स्त्री रोग संबंधी लक्षणों का विषम अनुपात बढ़ा हुआ है। इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों के विवाहेतर यौन संबंध बनाने और एसटीडी प्राप्त करने की अधिक संभावना थी, जिससे उनकी पत्नियों को गम्भीर रोग प्राप्त होने का खतरा होना बताया है ऐसे पुरुषों में कंडोम का उपयोग भी कम होने की बहुत बड़ी चूक मिली है। यह महिलाओं को एचआईवी संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं, और हिंसक पुरुष प्रतिक्रियाओं का डर, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, कई महिलाओं को इसके बारे में अधिक जानने की कोशिश करने से रोकते हैं, उन्हें परीक्षण कराने से हतोत्साहित करता है और उन्हें उपचार लेने से रोकता है। उत्तर प्रदेश में किए गए अनेको अध्ययनों से यह भी पता चला है कि दुर्व्यवहार करने वाले पुरुषों की पत्नियों में अनियोजित गर्भधारण काफी आम है अनेक, शोधो से पता चला है कि पीड़ित महिलाओं में गर्भपात का खतरा दोगुना होता है और औसत वजन से कम वजन वाले बच्चे के जन्म का जोखिम चार गुना होता है। कुछ स्थानों पर, मातृ मृत्यु के एक बड़े हिस्से के लिए ऐसी ही हिंसा जिम्मेदार है। प्रताड़ित महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू हिंसा सहायता सेवाओं को शामिल करने वाली प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की आज भी परम आवश्यकता है।

**4: आज महिलाओ के साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा का प्रभाव** मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा में बार-बार मौखिक दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, कारावास और शारीरिक, वित्तीय और व्यक्तिगत संसाधनों से वंचित करना शामिल है। मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की मात्रा निर्धारित करना बेहद कठिन कार्य है, और इस प्रकार की हिंसा की व्यापकता दर स्थापित करने के लिए बहुत कम अध्ययन अभी तक किए गए हैं। किए गए गुणात्मक शोध अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि लगातार मनोवैज्ञानिक रूपो से दुर्व्यवहार किया जाना किसी के स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि शारीरिक रूपो से दुर्व्यवहार किया जाना। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की भावना

को कम करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसे महिलाओं की आत्महत्या के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया है। कुछ महिलाओं के लिए, लगातार अपमान और अत्याचार जो भावनात्मक शोषण का कारण बनते हैं, शारीरिक हमलों से अधिक दर्दनाक हो सकते हैं क्योंकि वे प्रभावी रूप से महिलाओं की सुरक्षा और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का तात्कालिक नुकसान से कहीं ज्यादा गहरा असर होता है। इसका अनुभव करने वाली महिलाओं के लिए विनाशकारी परिणाम यह होते हैं और जो लोग इसे देखते हैं, विशेषकर बच्चों पर इसका दर्दनाक प्रभाव पड़ता है।

**5: आज बच्चों पर घरेलू हिंसा के पडने वाले मुख्य प्रभाव** जो बच्चे घरेलू हिंसा देखते हैं उनमें गंभीर भावनात्मक, व्यवहारिक, विकासात्मक या शैक्षणिक समस्याएं विकसित हो सकती हैं। जैसे-जैसे बच्चे विकसित होते हैं, घर में घरेलू हिंसा के साथ बड़े होने वाले बच्चे और किशोर होते हैं अनेक खतरों के जवाब में स्कूल या समुदायों में हिंसा का उपयोग करने की अधिक संभावना बनी रहती है। आत्महत्या का प्रयास करने की अधिक संभावना रहती है। नशीली दवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना रहती है। अपराध करने की अधिक संभावना, विशेषकर यौन उत्पीड़न अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हिंसा का उपयोग करने की अधिक संभावना भी रहती है। आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाए रखने की क्षमता के बिना, महिलाएं अपमानजनक रिश्तों में रहने के लिए मजबूर होती हैं और हिंसा से मुक्त नहीं हो पाती हैं। ऐसे में महिलाएं अलगाव या तलाक का विकल्प अपना पसंद करतीं। महिलाएं हिंसा की रिपोर्ट करने के परिणामों से भी डरती हैं और खुद को पीड़ित महिलाओं के रूप में पहचाने जाने की शर्मिंदगी का सामना करने की अनिच्छा करती हैं। विकल्पों के बारे में जानकारी का अभाव भी महिलाओं को अपने घरों की चारदीवारी के भीतर चुपचाप सहने के लिए मजबूर करता है। कुछ महिलाएं यह मान सकती हैं कि उनके कुछ गलत कार्यों के कारण महिलाएं पिटाई की पात्र हैं। अन्य महिलाएं पति के दुर्व्यवहारों के बारे में बोलने से बचती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पारिवारिक रहस्य उजागर करने के बदले में उनका साथी उन्हें और नुकसान पहुंचाएगा, या उन्हें अपनी स्थिति पर शर्म आ सकती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह उन राज्यों के लिए शर्मनाक है जो इसे रोकने में विफल रहते हैं और उन समाजों के लिए जो इसे सहन करते हैं और वास्तव में इसे कायम रखते हैं। इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति और समाज के सभी क्षेत्रों में कानूनी और नागरिक कार्रवाई के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। यह आज 50 % महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला है। इसी से समाज, परिवार और देश का विकास जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज घरेलू हिंसा के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया बहु-क्षेत्रीय होनी चाहिए दुर्व्यवहारों का सामना करने वाली महिलाओं को तत्काल व्यावहारिक जरूरतों को संबोधित करना दीर्घकालिक अनुवर्ती कार्रवाई और सहायता प्रदान करना और उन सांस्कृतिक मानदंडों, दृष्टिकोणों और कानूनी प्रावधानों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं और यहां तक कि प्रोत्साहित करते हैं, और महिलाओं के पूर्ण अधिकारों और स्वतंत्रता के आनंद को कमजोर करते हैं। जिससे समाज और परिवार कमजोर होते हैं।



**6: आज घरेलू हिंसा में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्मिक की भूमिका का महत्व** महिलाओं के खिलाफ आज घरेलू हिंसा को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी इस मुद्दे के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चूंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा लैंगिक असमानता का परिणाम और कारण दोनों होते हैं, इसलिए प्राथमिक रोकथाम कार्यक्रम जो लैंगिक असमानता को संबोधित करते हैं और हिंसा के मूल कारणों से निपटते हैं, सभी आवश्यक हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी सामग्री और नवीन ऑडियो-विजुअल संदेश बनाकर और प्रसारित करके जागरूकता पैदा करें, जो समाज में बालिकाओं और महिलाओं की सकारात्मक छवि पेश करें। घरेलू हिंसा को अस्वीकार्य बताने वाले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और फिल्म मीडिया को कवर करने वाला एक एकीकृत मीडिया अभियान आज समय की मांग है। घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए पुरुष जिम्मेदारी बढ़ाने की भूमिका पर जोर देने की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता भी है जो पस्त महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने का इरादा रखते हैं, जिनमें आत्म-प्रभावकारिता और आजीविका कौशल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इस संबंध में अनौपचारिक और स्थानीय सामुदायिक नेटवर्क के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू हिंसा से बचे लोगों को कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में शामिल किया जा सकता है। महिलाओं को गैर-समझौता योग्य स्थितियों में पीड़ितों के रूप में उजागर करने के बजाय, उन्हें अपने स्वयं के जीवन को बदलने में सक्षम एजेंटों के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ नेटवर्किंग और सामाजिक समर्थन के निर्माण में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास आज घरेलू हिंसा के पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषीकृत कर्मियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता रखता है। अनुसंधान के क्षेत्रों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी उन वैचारिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर शोध अध्ययन करके योगदान दे सकते हैं जो घरेलू हिंसा की घटना को जन्म देते हैं और यथा स्थिति बनाए रखते हैं। इसी प्रकार, नीति-निर्माण और योजना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों के निष्पादन और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हालाँकि, स्वास्थ्य क्षेत्र को शिक्षा, कानूनी और न्यायिक और सामाजिक सेवाओं सहित अन्य सभी क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते रहना चाहिए जिससे महिलाओं का जीवन सुगम हो सके।

**निष्कर्ष:** भारत ने घरेलू हिंसा से निपटने के उद्देश्य से अपना पहला कानून के रूप में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया ताकि परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान किया जा सके या बार-बार अपमान, उपहास या नाम-पुकारने, और साथी की जुनूनी स्वामित्व और ईर्ष्या के प्रदर्शन को घरेलू हिंसा के रूप में परिभाषित करता है। अब सामने बड़ी चुनौती इसे सही मायने में लागू करने की है। उच्च आकांक्षाओं के बावजूद, एक कानून उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी कार्यान्वयन क्षमता। इस अधिनियम पर प्रतिक्रियाएँ स्वीकृत हैं, एक वर्ग मेट्रो शहरों में एक कुलीन वर्ग द्वारा सन 2023 तक इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहा है और दूसरा वर्ग पितृसत्ता के जुए से दबी ग्रामीण महिलाओं के लिए इसकी निरर्थकता की भविष्यवाणी

कर रहा था जो अब समय के साथ निश्चिन्ता होने की पूरी सम्भावना बनी हुई है। केवल एक विधेयक घरेलू दुर्व्यवहारों को रोकने में मदद नहीं करेगा जरूरत आज अपनी मानसिकता में बदलाव की है। ठोस और समन्वित बहुक्षेत्रीय प्रयास स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव लाने और घरेलू हिंसा का जवाब देने के प्रमुख तरीके हैं। लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय समुदायों की इस मान्यता को दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य, विकास और लैंगिक समानता के मुद्दे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं इसी के साथ घरेलू हिंसा के मुद्दे को भी सामने लाया जाना चाहिए और किसी भी अन्य रोकथाम योग्य स्वास्थ्य समस्या की तरह इसकी जांच की जानी चाहिए और उपलब्ध सर्वोत्तम उपचारों को लागू किया जाना चाहिए। जिससे आज हमारा समाज, परिवार व देश विकसित हो सके क्योंकि मानसिक हिंसा से दुखी कभी भी मानवीय शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जिम्मरमैन सी. टोकरी में प्लेटें खड़खड़ाएंगीरू कंबोडिया, नोम पेहन में घरेलू हिंसा। कंबोडिया द एशिया फाउंडेशन पृ 125
2. कौन. महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर बहुदेशीय अध्ययन। जिनेवारू विश्व स्वास्थ्य संगठन पृ 108
3. बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार पर राष्ट्रीय केंद्र। वाशिंगटन डीसी तथ्य पत्रक घरेलू हिंसा वृद्ध महिलाएं भी शिकार हो सकती हैं। पृ 115
4. यहां उपलब्ध है <http://news-bbc-co-uk.go.pr.fr.&2.hi.south-asia.6086334-stm> अंतिम बार 2016 अक्टूबर 10 को उद्धृत किया गया,, अंतिम बार 2017 जून 19 को अपडेट किया गया पृ 66
5. रेनिसन सी.एम. "हाइपरलिंक" <http://www-ojp-usdoj-gov.bjs.pub.pdf.ipv01-pdfβ> . <http://www-ojp-usdoj-gov.bjs.pub.pdf.ipv01-> अंतरंग साथी हिंसा, 1993–2011 न्याय सांख्यिकी ब्यूरो। 2013 एनसीजे हाइपरलिंक "[http://www-ncjrs-gov.App.Publications.abstract-aspÛ.ID\(197838".o](http://www-ncjrs-gov.App.Publications.abstract-aspÛ.ID(197838)" <http://wwwncjrsov.App.Publications.abstract-aspÛ.ID> 197838β 197838- p 32
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत सरकारय तथ्य पत्रकरू राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस–III पृ 39
7. यहां उपलब्ध <http://Hyperlink> " <http://www-asianews-it>" [www-asianews-it](http://www-asianews-it). बढ़ती घरेलू हिंसा अंतिम बार 2017 मार्च 5 को उद्धृत,, अंतिम बार 2017 मार्च 17 को अद्यतन किया गया, पृ 208

8. दो तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार। यहां उपलब्ध है <http://www-ptinews-com> अंतिम बार 2015 अक्टूबर 13 को उद्धृत,, अंतिम बार 2017 मार्च 5 को अद्यतन किया गया, पृ0177
9. कौन. घरेलू हिंसारू पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक प्राथमिकता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय। पृ0 186
10. स्टीफेंसन आर, कोएनिंग एमए, अहमद एस. उत्तर भारत में महिलाओं के बीच घरेलू हिंसा और स्त्री रोग संबंधी रुग्णता के लक्षण। इंटर फ़ैम योजना परिप्रेक्ष्य पृ0 78
11. मार्टिन एसएल, किलगलेन बी, त्सुई एओ, मैत्रा के, सिंह केके, कुपर एलएल। यौन व्यवहार और प्रजनन स्वास्थ्य परिणाम: भारत में पत्नी के साथ दुर्व्यवहार का संबंध।जाना. पृ0 43
12. बर्लोन बी, डुवुरी एन, वेरिया एन. न्याय, परिवर्तन और मानवाधिकार: घरेलू हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रतिक्रिया: महिलाओं पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और विकास और जनसंख्या गतिविधियों के लिए केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित। पृ0 304
13. एग्नेस एफ. घरेलू हिंसा अधिनियम – आशा का एक द्वार। युद्ध कानून. पृ0 33